प्रेस नोट दि0-12.05.2025

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

- शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने व गर्भपात कराने वाला 01 अभियुक्त थाना कोतवाली नगर पुलिस की गिरफ्त में-
- पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण व गर्भपात करने के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-
- अभियुक्त आमिर खान पुत्र मोबिन को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत दहिलामऊ से गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.03.2025 को वादिनी की तहरीर के आधार पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने व गर्भपात कराने के प्रकरण में थाना कोतवाली नगर में धारा 69, 89, 351(2), 352 बीएनएस बनाम 05 नामजद अभियुक्त का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिवनारायण बैस के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री जयचन्द्र भारती के नेतृत्व में निरी0 प्रभात कुमार सिंह मय हमराही कां० सूर्यशेखर, कां० रंजीत यादव, हे0का0 अजय कुमार उ0नि0 प्रतिभा सिंह, म0का0 गुडिया मिश्रा, म0का0 रीनू यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग धारा 69, 89, 351(2), 352 बीएनएस से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त आमिर खान पुत्र मोबिन निवासी रामपुर परउवा थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत दहिलामऊ से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. आमिर खान पुत्र मोबिन निवासी रामपुर परउवा थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

निरी0 प्रभात कुमार सिंह मय हमराही कां० सूर्यशेखर, कां० रंजीत यादव, हे0का0 अजय कुमार उ0नि0 प्रतिभा सिंह, म0का0 गुडिया मिश्रा, म0का0 रीनू यादव थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

- सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करना व लोक सेवक पर हमला करने वाला 01 शातिर अभियुक्त थाना कोतवाली नगर पुलिस की गिरफ्त में-
- पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करना व लोक सेवक पर हमला करने के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-
- अभियुक्त राजीव उर्फ राजू पाण्डेय को थाना क्षेत्रान्तर्गत बुढ़िया देवी मंदिर दहिलामऊ से गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.05.2025 को वादी लेखपाल, स्थली एवं अभिलेखीय जांच हेतु दहिलामऊ में गया था। आरोपीगणें द्वारा कार्य सरकार के दौरान वादी को गाली- गलौज, मारपीट, धमकी देने व सरकारी कार्य को बाधित करने व लोक सेवक पर हमला करने के प्रकरण में थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0- 204/25 धारा 3(5),115(2), 352, 351(2), 132, 110 बीएनएस बनाम 04 नामजद अभियुक्त का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिवनारायण बैस के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री जयचन्द्र भारती के नेतृत्व में उ0नि0 अनुपम त्रिपाठी मय हमराह का0 रंजीत यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त राजीव उर्फ राजू पाण्डेय पुत्र रामदयाल निवासी दहिलामऊ थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत बुढ़िया देवी मंदिर दहिलामऊ के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. राजीव उर्फ राजू पाण्डेय पुत्र रामदयाल निवासी दहिलामऊ थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 अनुपम त्रिपाठी मय हमराह कां० रंजीत यादव थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़

- **चोरी की 02 मोटर साइकिल(कूटरचित नंबर प्लेट) के साथ 03 शातिर अभियुक्तों थाना जेठवारा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया-**
- **प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी**
- **थाना जेठवारा पुलिस द्वारा थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत सब्जी बाजार डेरवा के पास अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0ॅ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्री करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी जेठवारा श्री धर्मेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 श्री बंशीधर राय मय उ0नि0 अमित वर्मा मय हमराह हे0का0 राधेश्याम सुमन शर्मा, का0 प्रमोद यादव व का0 मनोज यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 99/25 धारा 303(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 102 / 2025 धारा 303 (2) बीएनएस थाना जेठवारा से संबंधित 03 अभियुक्तों, 01. विनय सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह नि0 मना का पुरवा भुवालपुर डोमीपुर थाना को0 देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष, 02.आकाश सिंह पुत्र स्व0 अजय

सिंह नि0 बैसन का पुरवा पूरेलाल थाना को0 देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष, 03. देवांस प्रताप सिंह उर्फ हर्ष सिंह पुत्र यशवन्त सिंह नि0 सराय आनादेव थाना को0 देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 18 वर्ष को चोरी की 02 मोटर साइकिल (कूटरचित नंबर प्लेट) के साथ थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत सब्जी बाजार डेरवा के पास से गिरफ्तार किया गया।

चोरी की 01 अदद अपाचे मोटर साइकिल एवं चोरी की 01 मोटर साईकिल स्पलेन्डर बरामदगी के संबंध में थाना जेठवारा में मु0अ0सं0 103/25 धारा 317(2)/317(4)/318(2)/336(2) बीएनएस बनाम 05 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ करने पर अभियुक्त विनय सिंह द्वारा बताया गया कि जिस आपाचे मोटर साइकिल को चला रहा हूं, वह चोरी की है। उसको मैने व मेरे दोस्त आकाश सिंह पुत्र स्व0 अजय सिंह नि0 बैसन का पुरवा पुरे लाला थाना कोतवाली देहात प्रतापगढ़ व देवांश प्रताप सिंह पुत्र यशवन्त सिंह नि0 सराय आनादेव थाना कोतवाली देहात प्रतापगढ़ व सूरज सरोज पुत्र अशोक सरोज नि0 पडवासी थाना कोतवाली देहात प्रतपागढ व धीरेन्द्र सिंह उर्फ गोलू सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह नि0 कुण्डवा पुरबीया पट्टी विक्रमपुर थाना कोतवाली देहात प्रतापगढ़ के साथ मिलकर डेरवा सब्जी बाजार से दिनांक 08.05.2025 को चुराया था।

हम सभी लोग मिलकर भीड भाड के जगह पर गाडी चोरी करते है। हम लोगो में से दो या तीन व्यक्ति बाजार में पहले से आकर घुमते रहते है। किसी एक मोटर साईकिल को चिन्हित कर के उसके मालिक के पीछे दो-तीन लोग हो जाते है। उसकी गतिविधियो को देखते रहते है। तथा दो व्यक्ति उस मोटर साईकिल को ग्रीन सिग्नल मिलते ही लाक तोडकर चुरा कर भाग जाते है। इस अपाचे मोटर साईकिल को भी चुराने में मै व देवांश खटवारा कि तरफ भाग गये, चोरी कर भागते समय कुछ लोगो ने हमे पहचान कर चिल्लाये भी तथा रोकने का प्रयास किये लेकिन हम लोग खटवारा की तरफ भाग निकले। हम लोगो ने 06.05.2025 को अमेठी से ये स्पलेन्डर भी चोरी किया है। आज भी हम लोगो के साथ गोलू और सूरज पहले से ही डेरवा आये है, उनके बताने पर हम लोग आज भी बाजार में मोटर साईकिल चोरी करने जा रहे थे।

हम लोगो ने चौरसिया मैरिज लान से दिनांक 08.05.2025 एक मोटर साईकिल हीरो स्पलेन्डर काले रंग की जिसका (नं0 UP72BS7343) था को चुराया था जिसका हम लोगो ने नम्बर प्लेट बदल दिया और जिसके बाद सूरज व गोलू ने कही बेच दिया है। जिसके पैसे को हम लोग खर्च कर दिये चोरी करने के बाद पकडे जाने के डर से हम लोगो ने इस आपाची मोटर साईकिल का नं0 प्लेट बदल दिया है। इसे भी जल्दी ही बेच देने का प्लान था।

इसी प्रकार आपाची के पीछे बैठे दूसरे व्यक्ति देवाशं प्रताप सिंह उर्फ हर्ष सिंह बताया मै बनारस रहता हूं, दो चार दिन से मै घर आया था। इनके कहने पर कि पैसे मिलेगें मै भी सभी मोटर साईकिल चोरियों में साथ रहा। जिसका मुझे अभी तक दो हजार रुपये मिला था। जिसको मैने खर्च कर दिया आज भी हम लोग मोटर साईकिल चुराने की नियत से ही आये है। हमारे दो साथी गोलू व सूरज डेरवा बाजार में है जिनका हम तीनो लोग इंतजार कर रहे है।

इसके पश्चात सफेद रंग के स्पलेन्डर पर बैठे व्यक्ति से नाम पता पूछा गया आकाश सिंह पुत्र स्व0 अजय सिंह नि0 बैसन का पुरवा पुरे लाला थाना कोतवाली देहात प्रतापगढ़ उम्र 21 वर्ष बताया जामा तलाशी लेते हुए उसके बैठे हुए स्पलेन्डर वाहन के

सम्बन्ध में पूछताछ किया गया तो विनय सिंह व देवाश सिंह की बातो का समर्थन करते हुए स्पलेन्डर प्लस को सभी दोस्तो के साथ अमेठी बाजार से चोरी कर नं0 प्लेट बदलने की बात स्वीकार की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01- विनय सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह नि0 मना का पुरवा भुवालपुर डोमीपुर थाना को0 देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष,
02-आकाश सिंह पुत्र स्व0 अजय सिंह नि0 बैसन का पुरवा पूरेलाल थाना को0 देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष,
03- देवांस प्रताप सिंह उर्फ हर्ष सिंह पुत्र यशवन्त सिंह नि0 सराय आनादेव थाना को0 देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 18 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

चोरी की 02 अदद मोटर साइकिल बरामद की गई।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 अमित वर्मा मय हमराह हे0का0 राधेश्याम सुमन शर्मा, का0 प्रमोद यादव व का0 मनोज यादव थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़

- **प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी**
- **थाना उदयपुर पुलिस द्वारा अपहरण के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**
- **थाना उदयपुर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र के गौरीगंज जाने वाली सड़क पर बनी जमालपुर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।**

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.05.2025 को ग्राम अठेहा से आरोपी द्वारा वादी की बहन को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में वादी मुकदमा की लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 68/25 धारा 87 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अ*पर पुलिस अधीक्षक(पश्चिमी) श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर* के कुशल पर्यवेक्षण में थाना उदयपुर प्रभारी श्री राधेश्याम के नेतृत्व में उ0नि0 ओमप्रकाश यादव, हे0का0 राममिलन यादव, का0 जुगेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा दिनांक 12.05.2025 को देखभाल क्षेत्र,वांछित वारंटी तलाश,संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 68/25 धारा 87 बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त इस्तेखार आलम उर्फ सोनू पुत्र इतिन्खाब अहमद उम्र करीब 29 वर्ष नि0ग्रा0 रसुलाबाद थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी को थाना उदयपुर क्षेत्रान्तर्गत गौरीगंज जाने वाली सड़क पर बनी जमालपुर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. इस्तेखार आलम उर्फ सोनू पुत्र इतिन्खाब अहमद उम्र करीब 29 वर्ष नि0ग्रा0 रसुलाबाद थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 ओमप्रकाश यादव, हे0का0 राममिलन यादव, का0 जुगेन्द्र प्रताप सिंह थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़

- **हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने के अभियोग से संबंधित 02 अभियोगों से संबंधित कुल 04 वांछित अभियुक्तों को कुल 02 अदद तमंचा 315 बोर व कुल 02 जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया-**
- **थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अभियुक्तों, रामप्रताप सिंह उर्फ नन्हे, राकेश उर्फ नागा को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत नहर पुलिया घाटमपुर के पास से गिरफ्तार किया गया है-**
- **थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अभियुक्तों, रवि सिंह उर्फ राजन, आशीष प्रताप सिंह को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त के घर के पास से गिरफ्तार किया गया है-**

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक- 11.05.2025 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत ग्राम घाटमपुर में भूमि संबंधी विवाद को लेकर दो पक्षों ने आपस में अवैध तमंचा का जान से मारने की नियत से उपयोग किया गया एवं गाली- गलौज, जान से मारने की धमकी दी गई है। जिसके संबंध में प्रथम पक्ष- आशीष कुमार सिंह पुत्र विजय प्रताप सिंह निवासी - घाटमपुर पोस्ट भदोही थाना कोतवाली देहात प्रतापगढ की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 109 /2025 धारा 109 (1),352,351 (2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं द्वित्तीय पक्ष- राम प्रताप सिंह सुत हरिहर सिंह ग्राम घाटमपुर पर0 तह0 सदर थाना कोतवाली देहात प्रतापगढ़ की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 110 /2025 धारा 109 (1),352,351 (2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डाॅ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैस के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी कोतवाली देहात श्री अभिषेक सिरोही के नेतृत्व में उ0नि0 मृत्युंजय पाण्डे मय हमराह उ0नि0 अजय कुमार, हे0का0 रामबचन यादव, का0 किशन पाल, का0 प्रवीण कुमार, का0 चन्द्रकेश चौधरी द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर,

थाना कोतवाली देहात में पंजीकृत मु0अ0सं0 109 /2025 धारा 109 (1),352,351(2) बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्त 01. रामप्रताप सिंह उर्फ नन्हे पुत्र स्व0 हरिहर सिंह उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम घाटमपुर थाना को0 देहात जनपद

प्रतापगढ़, 02. राकेश उर्फ नागा पुत्र चन्द्रशेखर सिंह 40 वर्ष निवासी ग्राम घाटमपुर थाना को0 देहात जनपद प्रतापगढ़ को नहर पुलिया घाटमपुर के पास से गिरफ्तार किया गया है।

थाना कोतवाली देहात में पंजीकृत मु0अ0सं0 110/2025 धारा 109(1),352,351 (2) बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्तों, 01. रवि सिंह उर्फ राजन पुत्र श्रीलाल प्रताप सिंह उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम घाटमपुर थाना को0 देहात जनपद प्रतापगढ़, 02. आशीष प्रताप सिंह पुत्र विजय प्रताप सिंह उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम घाटमपुर थाना को0 देहात जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र कोतवाली देहात के ग्राम घाटमपुर अभियुक्त के घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

मु0अ0सं0 109 /2025 धारा 109 (1),352,351(2) बीएनएस के अभियोग से संबंधित अभियुक्तों की निशानदेही से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से बरामदगी के संबंध में उपरोक्त अभियोग में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

मु0अ0सं0 110 /2025 धारा 109 (1),352,351(2) बीएनएस के अभियोग से संबंधित अभियुक्तों की निशानदेही से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से बरामदगी के संबंध में उपरोक्त अभियोग में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. रामप्रताप सिंह उर्फ नन्हे पुत्र स्व0 हरिहर सिंह निवासी ग्राम घाटमपुर थाना को0 देहात जनपद प्रतापगढ़।
02. राकेश उर्फ नागा पुत्र चन्द्रशेखर सिंह निवासी ग्राम घाटमपुर थाना को0 देहात जनपद प्रतापगढ़।
03. रवि सिंह उर्फ राजन पुत्र श्रीलाल प्रताप सिंह निवासी ग्राम घाटमपुर थाना को0 देहात जनपद प्रतापगढ़।
04. आशीष प्रताप सिंह पुत्र विजय प्रताप सिंह निवासी ग्राम घाटमपुर थाना को0 देहात जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

कुल 02 अदद तमंचा 315 बोर व कुल 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

उ0नि0 मृत्युंजय पाण्डे मय हमराह उ0नि0 अजय कुमार, हे0का0 रामबचन यादव, का0 किशन पाल, का0 प्रवीण कुमार, का0 चन्द्रकेश चौधरी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

- **प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-**
- **गैर इरादतन हत्या के अभियोग से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **थाना कुण्डा पुलिस द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र के चौरा तिराहा बिहार रोड के पास से गिरफ्तार किया गया-**

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी द्वारा थाना कुण्डा पर तहरीर दी गई थी कि दिनांक 09.05.2025 को उसके बेटे सूरज कुमार को गांव के ही मेवालाल पुत्र मंहगूराम व बबलू सरोज पुत्र अमृतलाल पुरानी रंजिश को लेकर, बहला फुसला कर मछली मारने के बहाने तालाब में मछली पकड़ने को कहा। जिसमे उक्त विपक्षीगणो के साथ मायाराम सुत नाटा नि० सिलावटपुर (लाली की बाग) थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ द्वारा जान से मार डालने की नियत तालाब में बिजली का करंट लगाकर भाग गये। जिससे वादिनी के बेटे की मृत्यु हो गई। जिसके संबंध में वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना कुण्डा में मु0अ0सं0-122/25 धारा 105 बीएनएस बनाम 03 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कुण्डा प्रभारी निरीक्षक श्री अवन कुमार दीक्षित के नेतृत्व में उ0नि0 गोविन्द सिंह चौहान मय हमराह का० लोकेश कुमार व का० जितेन्द्र यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-122/25 धारा 105 बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त बबलू सरोज पुत्र स्व0 अमृत लाल निवासी भोनी का पुरवा मजरा रैयापुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र कुण्डा के चौरा तिराहा बिहार रोड के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. बबलू सरोज पुत्र स्व0 अमृत लाल निवासी भोनी का पुरवा मजरा रैयापुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 गोविन्द सिंह चौहान मय हमराहिगण का० लोकेश कुमार व का० जितेन्द्र यादव थाना कुंडा जनपद प्रतापगढ़।

थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़

- **चोरी के अभियोग में 01 शातिर अभियुक्त थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चोरी के 70000/- रुपये बरामद।**
- **थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत तेलियानी नहर के पास अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

घटना का संक्षिप्त विवरण-

घटना दिनांक 27.04.2025 की रात्रि को थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पतरा से वादी की 02 भैंसो को 1.नसीम पुत्र मिश्री, 2. सिराजुल पुत्र पुटुल निवासीगण ग्राम लमहन थाना महराजगंज जनपद जौनपुर, 3. रविश पुत्र राजेश निवासी ग्राम रमगढ़ा थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ व एक अन्य अज्ञात व्यक्ति द्वारा पिकअप में ले जाकर चोरी कर लिये थे। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 125/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम 03 नामजद व 01 अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी आसपुर देवसरा श्री धीरेन्द्र ठाकुर के नेतृत्व में उ0नि0 अजय कुमार अचल मय हमराह उ0नि0 श्री राजन कुमार बिन्द, का० ज्वाला सिंह, का० शिवम सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 125/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना आसपुर देवसरा से संबंधित 01 अभियुक्त नसीम पुत्र मिश्री नि0 लमहन थाना महराजगंज जनपद जौनपुर उम्र करीब 35 वर्ष को चोरी की भैंस को बेचने पर बचे हुए 70000/-रुपये के साथ थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत तेलियानी नहर के पास से गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा बताया गया कि दिनांक 27.04.2025 को रात्रि में रबिस, सिराजुल तथा सिराजुल का साथी अज्ञात जिसकी पिकअप से जाकर पतरा गांव के बाहर से 02 भैस चुराये थे। जिनको सुबह किसी व्यक्ति को दोनो भैस 80,000 रूपये में बेच दिये थें। जिसमें से मुझे अभी पैसो की ज्यादा जरूरत होने के कारण 70 हजार रूपये ले लिये थे। तथा पांच - पांच हजार रूपया रबिस व सिराजुल ने ले लिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. नसीम पुत्र मिश्री निवासी ग्राम लमहन थाना महराजगंज जनपद जौनपुर।

बरामदगी का विवरण-

चोरी की भैंस को बेचने पर बचे हुए 70000/-रुपये बरामद किये गये।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 अजय कुमार अचल मय हमराह उ0नि0 श्री राजन कुमार बिन्द, का० ज्वाला सिंह, का० शिवम सिंह थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोहंडौर के उ0नि0 प्रवीण दुबे मय हमराह का० प्रवीण कुमार यादव के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर मु0न0 18445/21 मु0अ0स0 159/12 धारा 279/337 भादवि थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वारंटी तुलसीराम पुत्र रामचरन निवासी अतरसंड थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ को मदाफरपुर बाजार से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. तुलसीराम पुत्र रामचरन निवासी अतरसंड थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-उ0नि0 प्रवीण दुबे मय हमराह का० प्रवीण कुमार यादव थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़।